

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 443

दिनांक 15/02/2024

प्रार्थी :-

1.भीखाराम पुत्र चुतराराम  
जाति जटिया  
निवासी गोदारों का तला (लीलसर)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.चेनाराम पुत्र चुतराराम 2.जीया पुत्र माना 3.धापू पत्नि कुंभा  
4.गोमा पुत्र कुंभा 5.हरदान पुत्र माना 6.किशनाराम  
7.नरेशकुमार 8.तुलछाराम 9.मांगीलाल पि.बाबूलाल 10.डाई  
पत्नि बाबूलाल, जाति जटिया, निवासी गोदारों का तला  
(लीलसर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर  
11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 09/2023

दिनांक : 13.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा गोदारों का तला के खेत खसरा सं. 790/339 रकबा 05.2609 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 444 to 447  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भीखाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चेनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 15/02/2024



(सूजना मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन